REFERENCE TO THE COMPLIMENTS TO THE INDIAN SCIENTISTS ON THEIR ACHIEVEMENTS IN THE NUCLEAR FIELD

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, normally when recourse is sought in the House to mention any matter of urgent public importance, it is on account of Governmental failure, inattention or incompetence that we do so. It is my happy duty today to utilise this occasion to commend an achievement of great significance by the Indian scientists. Before I go into the details of it, it is necessary for me to caution the Government not to arrogate to themselves or to appropriate to themselves the achievements of the Department of Atomic Energy. The achieving of criticality at Kalpakkam and the inauguration of Dhruva successfully mark the launching of the second phase of our programme of nuclear energy development. What is extremely important and significant as far as Kalpakkam is concerned is the indigenous development of the fast breeder test reactor, the innovation of sodium-based fuel and the fact that most of the equipment that has been used in the fast breeder reactor is the result of the scientific spirit and endeavour of our scientists. Alongwith the commissioning of Dhruva, the combanation of the commissioning of the Dhruva and the fast breeder test reactor at Kalpakkam mark yet another significant aspect of our nuclear programme, independent nuclear programme, inasmuch as these have safeguards and are not subject to the IAEA inspection and these would be very significant milestones if properly harnessed for the utilisation of nuclear energy in the country in the decades to come.

I would appeal to you, Madam, to utilize this occasion perhaps to commend the officials, scientists and all those of the Department of Atomic Energy who have made this experiment a great success and thank them for the successful completion of the second phase of our programme of harnessing nuclear energy for peaceful uses in the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, we shall take up the Bonded Labour System (Abolition) Amendment Bill, 1984. Now, the Minister to move.

THE BONDED LABOUR SYSTEM (ABOLITION) AMENDMENT BILL, 1984

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): Madam, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, be taken into consideration."

Madam, the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 provides for the abolition of bonded labour in the country. Section 2 of the Act defines bonded labour and the bonded labour system. Although these definitions are quite clear, doubts have been expressed at different times as to whether a contract labour or an inter-State migrant worker could also be covered under these definitions. The Bill seeks to add an explanation under section 2(g) of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 to the effect that such contract labourers and inter-State migrant workers who fulfil the conditions of the bonded labour system, namely, debitor-creditor relationship, loss of freedom of movement and less wages, etc. would also come within the definition of bonded labour. The definitions of contract labour and inter-State migrant worker have been borrowed from the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, respectively.

Madam, the proposed amendment is only by way of clarifying the position. Therefore, the Bill may be taken into consideration and passed.

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Mr. Jagdambi Prasad Yadav. Yes, Mr. Yadav, you move your amendment.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि :

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को दोनो सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिसमें 33 सदस्य होंगे। 11 सदस्य इस सभा के होंगे और 22 सदस्य लोक सभा के होंगे।

संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई से होगी;

अन्य विषयों के बारे में, प्रवर समिति संबंधी इस सभा के प्रक्रिया विषयक नियम ऐसे परिवर्तनों और रुपभेदों के साथ लागू होंगे जिन्हें कि सभापति करें ;

समिति अगले सत्र के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन दे देगी; और

यह हैसभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिये लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

इस सभा के सदस्य हैं :

(1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी
(2) श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
(3) श्री वी० गोपालसामी
(4) डा० बापू कालदाते
(5) श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी
(6) श्री रामचन्द्र भारद्वाज
(7) श्री रामेश्वर ठाकुर
(8) श्री शंकर प्रसाद मित्र
(9) श्री विश्व गोस्वामी
(10) श्री के० मोहनन
(11) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ।

*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN (West Bengal): Hon. Madam Deputy Chairman, I shall speak in Bengali.

Madam, the Bonded Labour System (Abolition) Amendment Bill, 1984 is before us for consideration. It is very clear that the present bonded labour system is a new edition of the bonded labour system that prevailed under feudalism during the Middle Ages. Since Middle Ages the bonded labour system has been in operation in society in various forms. After the end of slavery, we have now slaves in the form of agricultural labourers. Now in rural areas the lands, belonging to the farmers, have passed into the hands of a new class. Consequently, the real farmers have become landless which has led to the creation of a new system of slavery in rural areas. So, there is a great necessity to implement land reforms in rural areas. It is evident that among bonded labourers 61 per cent belong to scheduled castes and 17 per cent belong to scheduled tribes. The rest are people of poorer classes. This piece of legislation will be effective only when land reforms will be implemented in rural areas and job opportunities for poor people are created there.

The poor people in rural areas will not be benefited by amending partly the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. Land Reforms must be implemented for the benefit of

*English translation of the original speech delivered in Bengali.

[Shri Debendra Nath Barman]

poor rural people. Besides, the programmes like IRDP and NREP should be implemented in right spirit for providing jobs to them. In this connection I would like to refer to one case about the identification and release of bonded labourers. The Left Front Government in Tripura identified the brick kiln workers in Tripura as bonded labourers. These Adivasi labourers were brought to Tripura from Ranchi district in Bihar. The Left Front Government of Tripura got them released and handed them over to Bihar Government. I would like to know what jobs have been provided to those brick kiln workers by the Bihar Government for their maintenance?

A large number of bonded labourers work in brick klin works. A Three-Party Committee submitted a draft law to the Government for alleviating the sufferings of the brick kiln workers. But the Government has not yet enacted that draft law. It shows that the attitude of the Government to the cause of bonded labourers is not very clear.

International Labour Organisation has taken decisions twice about the system of bonded labour. Those decisions are contained in ILO Convention No. 29 of 1930 and ILO Convention No. 105 of 1957. The Government of India has accepted those ILO Conventions. But the present amending Bill has not been framed on the basis of those ILO Conventions.

In the Asiad case the Supreme Court gave the verdict that those workers who are not provided with minimum wages and minimum amenities, should be treated as bonded labourers. In spite of this judgement we find that the number of bonded labourers is increasing day by day. Loco running staff have become as good as bonded labourers. It was suggested that a ceiling should be imposed upon the duty hours of the loco running staff. But in reality the loco running staff are compelled to work for sixteen to eighteen hours daily. According to ILO Convention No. 1, the Government is required to put a ceiling upon duty hours of loco running staff. But this has not yet been done. So, the loco running staff are being treated as bonded labourers. The concerned authorities are extracting excessive work from them with the threat of their dismissals from service.

Amendments to legislations, even if they are good, are useless if they do not bring real benefits to the people. In this connection I would like to say that article 23 of the Constitution prohibits forced labour. Besides, we have this Bonded Labour System (Abolition) Act. 1976. But those persons who are responsible for turning people into bonded labourers, are not being given stringent punishments. The Government takes lenient attitude towards those persons who violate the provisions of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. The defenders of the law are usually let off with normal fines. Unless there is a change in the attitude of the Government, an amendment of this nature will not help the affected people.

The Government will have to take correct steps to make the Act regarding the abolition of bonded labour system an effective piece of legislation. For this purpose, the Government should consult Kisan Sabha and other Labour Unions for formulating correct measures in the interests of bonded labourers.

With these words, I conclude.

Thank you.

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं श्रम मंत्री द्वारा सदन में लाये गये अधिनियम का स्वागत करता हूं। यह खुशी की बात हैं कि हमारी सरकार बंधुआ मजदूरों के शोषण को समाप्त कराने के लिये न

केवल कृत-संकल्प है बल्कि वह समय समय पर आवश्यक सुधार भी कानून में करना जानती है और करती रही है। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिये सन् 1976 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार की नई नीति बनी थी और उसके तहत आज तक काम होता रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्तमान अधिनियम के द्वारा सरकार उन अन्य मजदूरों को भी बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में लेने जा रही है जो उन्हीं के समान, उन्हीं जैसी स्थितियों में काम कर रहे हैं और जिनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तथा जिनका शोषण हो रहा है। विशेष रूप से ठेके पर काम करने वाले मजदूर और दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले मजदूरों के प्रति सरकार सचेत है। महोदया, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और यह हमारे राज्य का, हमारी सरकार का दायित्व है कि वह इस प्रकार का जीवन जीने हेतु उपयुक्त वातावरण का देश में निर्माण करे ताकि जो लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं और एक तरह से दासता का जीवन जी रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार सम्भव हो सके। बंधुआ मजदूर आज हमारे देश के तमाम राज्यों में है। 1980 में गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें उस समय बताया गया था कि करीब करीब 26 लाख बंधुआ मजदूर देश के दस राज्यों में है। ये बंधुआ मजदूर बंधुआ होते है क्योंकि या तो इन्होंने स्वयं कर्जा लिया होता है या इनके बाप-दादाओं ने कर्जा लिया होता है, चाहे शादी ब्याह के लिए कर्जा लिया हो या चाहे किसी की अन्त्येष्टि संस्कार के लिये कर्जा लिया हो, चाहे बीमारी के कारण लिया हो। सौ डेढ़ सौ रुपया या आठ सौ-नौ सौ रुपया कर्जा लेने के कारण ये परिवार पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने पर बाध्य किये जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी यह सरकार इस विषय में सचेत है और हमारी न्यायपालिका भी इस विषय में सचेत है। आज सरकार और हमारी न्यायपालिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिल कर के इस प्रथा का उन्मूलन कराने के लिए कृत-संकल्प हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर जब उस के सामने मसले लाये गये तमाम बन्धुआ परिवारों को मुक्त कराया है लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में परिवार हैं जो बन्धुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में सामंतवादी लोग मौजूद हैं चाहे वह बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो। हमारे तमाम प्रदेशों में आज भी सामंतवादी मनोवृत्ति के लोग रह रहे है जो इन बन्धुआ मजदूरों का जिन में मुख्यतः हरिजन होते हैं, पिछड़ी जाति के होते है, जन जाति के लोग होते है इनकी आर्थिक विपन्नता के कारण इनका शोषण करने के लिये वह तरह-तरह के तरीके खोजते हैं। यह एक विडम्बना है कि आज शहरीकरण जो हो रहा है उसके फलस्वरूप और आज विकास के जो कार्य हम कर रहे हैं, निर्माण के कार्य कर रहे है उनके कारण भी तमाम जमीनें ले ली जाती हैं और उन जमीनों पर काम करने वाले जो हमारे भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम के अभाव में उनको बन्धुआ मजदूरो के समान जीवन व्यतीत करने पर विवश होना पड़ता है। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह की प्रथाएं मौजूद हैं। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पर यह प्रथा है जिसे लौंडी प्रथा या दासी प्रथा कहा जाता हैं आज भी वह प्रथा जीवित है। जब किसी बड़ घर की लड़की ससुराल जाती है तो उसके साथ एक लड़की मजदूरों का काम करने के लिए भेजी जाती है और वहां पर उसका शोषण किया जाता है। दक्षिण में देवदासी प्रथा है उस प्रथा में तमाम नारियों का शोषण किया जाता है। हमारे दिल्ली के आसपास ईट भट्टों में खदानों में काम करने वाले मजदूरों के संबंध में टूट चुकान प्रथा है। उसमें होता यह है कि जब भट्टे का सीजन समाप्त हो जाता हैं तो मालिक मजदूर परिवार को एक पर्ची देता है

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

जिस में लिखा रहता है एक हजार रुपया, पांच सौ रुपया या दो सौ रुपया तो दूसरा ठेकेदार भट्टा मालिक के उस परिवार को उस भट्टा मालिक से उतने पैसे में खरीद सकता है उसका शोषण करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार की तमाम प्रथाएं हमारे देश में मौजूद हैं और इन प्रथाओं को समाप्त करना होगा। सामंती मनोवृति को समाप्त करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इस दिशा में कुछ कर सकें हम लक्ष्य पूरा कर सकें तो इन बुराइयों को समाप्त करना होगा। यह दुख का विषय है कि तमाम राज्य सरकारों से केन्द्र द्वारा बार बार कहने पर भी न तो अपने राज्यों में सही बन्धुआ मजदूरों की संख्या बताते हैं और न उनके पुनर्वास करने के लिए मुक्त कराने के लिए प्रयास करती है। 1983–84 में लक्ष्य रखा गया था 28804 बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराना है और पुनर्वास कराना है लेकिन यह बताया गया कि 28 हजार में केवल 17 हजार का पुनर्वास किया गया। 1984–85 में 30 हजार का लक्ष्य था। कितना हुआ, कितना नहीं हुआ यह हमारे मंत्री महोदय जानते होंगे। हमारे पास उसके आंकड़े नहीं है। लेकिन लक्ष्य कभी भी पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि जो तत्व मजदूरों को बन्धुआ बनाने में लगे हुए हैं वे तत्व हमारे लेबर इंस्पेक्टर्ज को मिला लेते हैं पैसा दे कर के जिससे उनकी सही जांच नहीं हो पाती है और आज हमारे यह लेबर इंस्पेक्टर्ज उन तत्वों के साथ मिल कर के मजदूरों का शोषण जारी रखते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि 16 दिसम्बर, 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद की पत्थर खदानों में काम करने वाले 295 परिवारों को मुक्त किया और इन 295 में से 106 परिवार केवल राजस्थान के बाड़मेर जिले के थे। जब उनको वहां वापिस ले जाया गया तो इन में से अधिकांश का आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया हैं इम्पलायमेंट नहीं मिल पाया है रोजगार नहीं मिलता हैं और वह एक नरक से निकल कर दूसरे नरक में पड़ गये हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में, गाजीपुर जिले में, आजमगढ़ जिले में, रायबरेली जिले में और रायबरेली की डलमऊ तहसील में 40 हजार से ज्यादा खेतिहर मजदूर काम करते है जिनकी हालत बंधुआ मजदूरों से बदतर है। आप की घंटी बज चुकी है महोदया मैं जानता हूं नहीं तो यह विषय ऐसा है कि जिस पर काफी कुछ कहा जा सकता है। हमारे पुराने जो मंत्री जी थे श्री वीरेन्द्र पाटिल उन्होंने एक बार एक बैठक में यह कहा था कि बंधुआ मजदूरों की जो शिकायतें हैं उनका तात्कालिक निराकरण होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण हो तो मैं चाहूंगा कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये। दूसरा जैसा कि सन् 1984 में दिल्ली में जो चौपाल हुई थी स्वामी अग्निवेश की अध्यक्षता में उस चौपाल में जो निर्णय लिये गये थे बंधुआ मजदूरों के बारे में कि ऐसे मजदूरों को शीघ्र पहचानें और उनका पुनर्वास कराने के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं और जैसा मैंने कहा कि जो सामंती तत्व हमारे कानूनों के पालन के रास्ते में अड़ंगे उत्पन्न करते हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में जो इन हरिजन और पिछली जातियों के लोगों का शोषण करते हैं और जगह जगह पर उन्होंने भूमि सेनाएं बना रखी हैं, कहीं कुछ बना रखा है इन सारी सेनाओं पर, सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि ये इस तरह के कार्य न कर सकें। जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो इन जमींदारों और सामंतवादी तत्वों के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं उनसे घूस लेकर, पैसे लेकर या अन्य सुविधाएं लेकर, गलत आंकड़े सरकार को देते हैं, स्वयं अवरोध पैदा करते हैं तो इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए और जो इसके लिए दोषी पाये जायें ऐसे तमाम लोगों को दंडित किया जाये नहीं तो सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा और इसी के साथ साथ आज भी जो न्यूनतम मजदूरी तमाम जगह नहीं मिल रही है कानून के होते हुए लोग न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, लोगों का शोषण

करते हैं और इसलिए न्यूनतम मजदूरी न मिलने के कारण ऐसे लोगों को बंधुआ मजदूरों की कोटि में रखा जा सकता है तो उनको न्यूनतम मजदूरी दिलाने का भी सरकार को प्रयास करना चाहिए ताकि वे सब सुविधाएं जो सरकार के कानून में निहित हैं इन मजदूरों को प्राप्त हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अधिनियम का समर्थन करता हूं।

DR. SHANTI G. PATEL (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, as far as this amendment goes certainly it deserves support from all sides of the House. The situation with which we are faced and to which a reference has been made by my friend and colleague Sukulji deserves to be considered a little more seriously. After 37 years of Independence, we find we have reached a stage where we require to have a law, not merely a law, but an amendment to the law which was passed as back as 9 years ago; my colleague corrects me; it is after 38 years of our Independence. This shows as to how lethargic has been the administrative machinery as far as emancipation of the bonded labour is concerned. It is really a failure of the administrative machinery which has led to the situation, wherever this matter is discussed, whether it is in public, in the press or at the Labour Ministers' Conference, we always find that there is a lot of labour still employed as bonded labour. The discovered or detected is something very little compared to the number of people who are held under bondage of one type or another. And this is the real challenge. I would like to request the Labour Minister that he should try to see that this bondage system is put an end to, and I am sure, before he lays down his office—and I wish his office will not be short-lived as it happened in the past; and I do not want it to be short-lived—I want him all success, much more so because I know his sympathies with this type of people. Unless he takes up this cause in a very determined manner, he will not be able to achieve success. so. the real problem is of detection and rehabilitation. They have to be detected in every part of the State. But after they are detected, sufficient measures, adequate measures, have to be taken for rehabilitating these people.

Unless we remove the root-cause, this demon of bonded labour is going to be there and we will not be able to get rid of it. Therefore, a proper detection machinery and a rehabilitation machinery need to be set up. Now, everything is on paper and there seems to be nothing happening concretely.

I would like to refer, in this context, to the root-cause. The root-cause, unfortunately, is unemployment which has assumed staggering proportions in this country. It is not merely unemployment, but also underemployment, particularly, in the far-flung areas in the country-side, particularly, among the socially backward classes and the tribal people, who are not able to make both ends meet with the income, with the meagre income, that they are able to gather anyhow. Therefore, it is very necessary that this problem also is tackled. Madam, we do not get all the statistics in regard to unemployment and under-employment, but whatever figure is available on the live registers of employment exchanges which are maintained by the Government, particularly of those people who go and register themselves, we find that in the last five years, the figure has risen from 15.3 million to 24.2 million (May, 85). There has been a rise of about 60 per cent in the last five years, since 1980. I am bringing this to the notice of the hon. Labour Minister. Here is the root-cause. Unless this is tackled with firmness and determination, we are not going to have the desired results. Whether we change the law or we amend the law, this is not going to be enough. I would like to urge, in all seriousness, upon the hon. Labour

[Dr. Shanti G. Patel]

Minister, that he should see that the machinery under him and also the machinery under the various State Governments are properly tightened up and these people are brought to book.

Madam, as you know, the people who are working as bonded labourers are not living as human beings. They are living indecent lives and they are always at the mercy of the persons who employ them. Whether it is a matter of their accommodation or food or clothing, whatever it is, they are in complete bondage. They should be delivered in time so that this matter of shame is no longer there. I believe, this is not the concern of one party or another. I think, this affects the country as a whole and that is why it needs to be removed at the earliest opportunity. I am sure, the hon. Minister would take this amendment as a stepping stone, as a step forward and see that all the clauses which give him sufficient powers to deal with this particular problem are properly implemented and we are able to exterminate this curse from this country for ever.

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन इससे पहले जो मूल बिल 1976 में आया था, वह एक शानदार और क्रांतिकारी बिल था और इसके बाद स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के चलते उन्होंने देश में पहली बार इस सिलसिले में बहुत संजीदगी के साथ कदम उठाये और अपने 20–सूत्री कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरों के मामले को रखा। इतनी तमाम नेक-नीयती के बावजूद जो नतीजे हुए, जो केन्द्र सरकार थी, जो सूबे थे वहां पर इस सिलसिले में ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

मैं इससे पहले कि जो खामियां रह जाती हैं इम्पलिमेंटेशन में, जो हमारे समाज में, ढांचे में बुनियादी कमजोरी है, जो हम अपनी आजादी की लड़ाई की उपलब्धियों को खोते जा रहे हैं, जो हम नेतृत्व की इतनी नेक-नीयती के बावजूद इन चीजों को लागू नहीं कर पाते हैं, इन बातों को जानने से पहले इस समस्या की जड़ की तरफ जाना चाहता हूं। बंधुआ मजदूरों की हालत मुल्क में पैदा क्यों हुई? पिछले सौ-दो सौ सालों के इतिहास में जाने की इसके लिए बहुत जरूरत है।

कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र के मुताबिक राजा तमाम जमीन का मालिक था, लेकिन राजा किसान की या जोतने की जमीन को ले नहीं सकता था जब तक कि वह उस जमीन को जोतना बंद न कर दे। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में यह व्यवस्था नहीं थी कि मैं अगर अपनी जमीन को जोतता हूं, तो मेरी जमीन को कोई राजा ले सकता है। अफगानों के दौर में भी और मुगलों के दौर में भी कमोबेश यही स्थिति रही, किसान का जमीन को जोतने वाले का मालिकाना हक जमीन के ऊपर बरकरार रहा।

यह जो सारी समस्या है, वह पैदा हुई अंग्रेज के आने के बाद। हिंदुस्तान के गांवों की जो पद्धति थी जीने की, गांव जो एक तरह से बुना हुआ था, एक-दूसरे के ऊपर निर्भर था, दस्तकार, किसान, लौहार, बढ़ई सारे लोग उस ढांचे को खत्म करने की जो अंग्रेज ने कोशिश की और दो तरफा कोशिश की और उससे आज हमारे देश मे यह सूरत पैदा हुई है। अंग्रेजों ने हमारे दस्तकारों को बेकार किया अपना माल लाकर हिन्दुस्तान के दस्तकार द्वारा बनाई हुई चीजों पर महसूल बढ़ाकर और दूसरी तरफ किसानों के मालिकाना हक खत्म करके जो जमींदारी व्यवस्था कायम की उसके चलते यह सब हुआ है। जो दस्तकार था वह खेतिहर मजदूर इसलिए हो गया कि उसका काम खत्म हो गया और जमीन से बेदखल होने लगा जमीन को जोतने वाला और इस देश में जो बहुत ही खराब किस्म की बीमारी है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं यह पैदा हो गई। आजादी के बाद जो हमारा नेतृत्व था उसने इससे लड़ने की

कोशिश की। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते उस दौर में भी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, बराबर कोई सैशन नही जाता था, कोई अधिवेशन कांग्रेस का नहीं जाता था जबकि पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के आर्थिक और सामाजिक मसलों पर लड़ने की बात नहीं करते हों। जो देश के ताकतवर लोग थे, धनी लोग थे, सामन्ती लोग थे, उन्होंने उनसे कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि हम देश को आजाद कराने के फौरन बाद जोतने वाले गरीब किसानों को उनकी जमीन दिलवायेंगे। वह ताकत में आये और उनकी सूबाई सरकारें भी आई जमींदारी उन्मूलन कानून सब जगह पास हुआ लेकिन जब कार्यान्वियन होने लगा तो बहुत सी जगह गड़बड़ हो गई। मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश में कहीं भी जमींदारी उन्मूलन कानून ठीक तरह से लागू नही किया गया। जब उस तरह से क्रांतिकारी बात होती है तो मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि इन मसलों पर आप रंगीन चश्मों से मत देखिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह की किताब के मुताबिक बंगाल में खेतिहर मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है पिछले 10–15 साल से। कौन है वे लोग ? उनकी किताब के मुताबिक बेदखल हो रहा है छोटा किसान बड़ी जोत का आकार बढ़ता जा रहा है। महाश्वेता देवी की किताब में बंगाल के बारे में पढ़िए। वह लिखती हैं कि वहां तमाम वामपंथी लोग काबिज हो गए हैं जमीनों पर, कोई जमींदारी उन्मूलन नहीं हो रहा है। बंधुआ मजदूरों की 50 शक्लें उन्होंने लिखी हैं जो कि बंगाल में आज भी मौजूद हैं। मोरारजी देसाई का सूबा है गुजरात चार एकड़ भी जमीन नहीं बची, श्रीमन् जब वह ताकत में थे। मैं कोई निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि जो देश में ताकतवर लोग थे वही देश आजाद होने पर सत्ता में शामिल हो गए और जो जमीन का बंटवारा होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं इसको छोड़कर आना चाहता हूं उस बिल पर जो 1976 में पास हुआ था। उसके बाद क्या हुआ ? बिल पास हो गया। श्रीमती इंदिरा गान्धी की सरकार चली गई। महाश्वेता देवी ने जो भारत में बंधुआ मजदूरों पर सबसे प्रतिष्ठित किताब लिखी है उसके अनुसार श्रीमती इंदिरा गांधी के ताकत से चले जाने के फौरन बाद यह 1976 का बिल रद्दी की टोकरी मे डाल दिया गया और इसके ऊपर कोई इंपलीमेंटेशन नहीं हुआ। इसी किताब के अनुसार 1976 के बाद आज तक यह जनता सरकार खत्म होने तक 50 हजार लोग भी बंधुआ मजदूरी से मुक्त नही कराए गए। आपको यह जानकर हैरत होगी, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार 14 आदमी आंध्र में मुक्त कराए गए, 581 बिहार मे, 27 हजार कर्नाटक में, 19 हजार उत्तर प्रदेश में 10,112 राजस्थान में, 481 तामिलनाडु में, 283 मध्य प्रदेश में और 10 उड़ीसा में। आन्ध्र प्रदेश में जहां नक्सलवादी बढ़ रहे है वहा उस समय तक सिर्फ 14 आदमी मुक्त कराए गए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बंधुआ मजदूर हैं उनकी पहचान सरकारी एजेंसियां सही तरीके से नहीं कर पाई। केन्द्र ने यह कहा था बिल बनाते समय कि इनके रि-हैबिलिटेशन के समय जो खर्चा होगा उसका आधा हम देंगे। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं में जो इस मद में रुपया रखा गया था उसका खर्च नहीं हुआ। आइडेंटीफीकेशन नहीं हुआ और जो सबसे खराब बात हुई वह यह हुई कि महाजन के साथ इसका झगड़ा हो गया। सरकार ने कहा कि आपको मुक्त करायेंगे। महाजन की जगह कोई एजेंसी आज गांव के समाज के ढांचे में आपके पास मौजूद नहीं है। आपका बैंक कर्ज नहीं देता था, सोसायटी कर्ज नहीं देती थी और महाजन ताकतवर था, बड़ा जमींदार ताकतवर था। वह कांग्रेस में भी था, लोकदल में भी था और तमाम पार्टियों में भी था, जनसंघ में भी था और उनमें थोड़ा ज्यादा था। लिहाजा वह आदमी गांव से उखड़ गया जहां पर उसका कोई हमदर्द नहीं था और सरकारी एजेंसियां भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। कुल मिलाकर या तो वह दोबारा बंधुआ मजदूर हो गया या वह कहीं और जगह चला गया पंजाब जैसी

[श्री सत्यपाल मालिक]

जगह पर मजदूरी करने के लिए और जहां फिर कमोवश उसे उसी हालत में काम करना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पिछले 5–7 साल के अभी आंकड़े उपलब्ध हैं जमीन के बंटवारे के मामले पर नए सिरे से चलना होगा। इसके बिना यह मसला हल नहीं हो सकता है। दस्तकार और जो गांव के धंधे थे उनको दोबारा रि-हैबिलिटेट करने की बात करनी होगी। जो हम बड़े शहरों में सारा तरक्की का मामला ले जा रहे हैं। वह नहीं करेंगे तो सारी चीजें गड़बड़ हो जायेंगी। इसके अलावा मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन इस वक्त समय कम है। इसलिये नहीं दूंगा। लेकिन कुल मजदूरों में बंधुआ मजदूरों का प्रतिशत हर सूबे में 4/5 प्रतिशत से ज्यादा है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार यह शानदार बिल यहां लाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर पुनर्विचार की जरूरत है। महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहर लाल जी की जो देन इस देश को मिली, वह यह थी कि आजादी के बाद ननवा तेली और महाराजा जयपुर बराबर थे, दोनों को एक ही अधिकार थे। आज वह हालत नहीं है। यह व्यर्थ सा हो गया है पिछले तीस-पैंतीस सालों में। जितने रजवाडे थे, जितने नवाब थे, जितने ताल्लुकेदार थे, जितने समाज के ताकतवर लोग थे, सारी पार्टियों पर आज हावी हैं। आज 80 राजघराने पार्लियामेंट में आ कर बैठ गये हैं। मैं उनके इस बुनियादी हक को चुनौती नहीं देता। लेकिन जो ताकतवर हैं, जिसके पास दस-दस हजार बीघा जमीन है, जिसके पास बड़ी रकम है, जिसके पास ऊंची जाति है, उसको राजनीतिक ताकत में शिरकत दे देना, इससे किसी तरह का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। सारी पार्टियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस चीज को देखना चाहिए। जब तक आप यह चीज नहीं देखेंगे, तब तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला जो कमजोर आदमी था, कोयरी था, कुर्मी था, यादव था, गरीब था, हरिजन था, गरीब मजदूर था, उसका भला होने वाला नहीं है। वह आज भी कराहता रहता है। देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर उसकी आवाज कम होती जा रही है। वह कमजोर होता जा रहा है और वही सामन्ती आदमी, बड़ा व्यापारी, बड़े अफसर का बेटा सारी पार्टी और सारे ढांचे पर काबिज होता जा रहा है। कानून का, चाहे बढ़िया से बढ़िया कानून हो, कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर नये सिरे से विचार कर बुनियादी तबदीली नहीं करेंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के किसी अधिवेशन की पंडित जवाहर लाल नेहरू की स्पीच को उठा लीजिए, वह रोशनी देगी। अधिवेशन में वे इन मुद्दों को कभी नहीं छोड़ते थे, इसके लिये लड़ते थे। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सख्ती से इसको इंपलीमेंट कराइये और जो राज्य-सरकार इंपलीमेंट न करे, उनको देखिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करिए। यही कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया जी, मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये आग्रह किया है। यह आग्रह क्यों किया है, इसलिये किया है कि इस विधेयक में वास्तव में परिभाषा ही अभी तक ठीक नहीं हुई है। आपने परिभाषा का हिसाब किया है तो सिर्फ आर्थिक और कुछ सामाजिक, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक परिभाषा भी इसके भीतर आती है, इस पर आपने विचार नहीं किया है। जहां तक सामाजिकता की बात है, तो इस बांडेड-लेबर में, बंधुआ-मजदूर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग, इसमें से लोग आते है। यह सामाजिकता के रूप में तो ठीक है। आर्थिक दृष्टि से और भी लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दृष्टि से हमको ऐसा लगता है कि

सांसदों पर भी आक्षेप आ सकता है, मंत्रियों पर भी आक्षेप आ सकता है कि उनकी स्थिति भी स्वालम्बी और स्वतन्त्र है कि नहीं ?

धार्मिक बंधुआ मजदूर की बात जब करते हैं, तो हमारे माननीय मित्र ने देवदासी प्रथा की ओर उल्लेख किया। लेकिन बहुत बड़ा विशाल समुदाय अनुसूचित जनजाति का है, जिसके कमजोर होने के कारण उसका धार्मिक परिवर्तन भी हुआ। बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जिसके कमजोर होने के कारण उसका धर्म-परिवर्तन कराया गया। क्या यह बंधुआ बात नहीं है कि किसी के स्वतंत्र विचार चिंतन पर अंकुश लगाकर पैसे के बल पर और देशी नहीं विदेशी मिशनरी उसको बरगलायें। तो बंधुआ-मजदूर की परिभाषा इतनी ही नहीं है, बल्कि जब मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोण सरकारी बंधुआ मजदूरों पर बिल्कुल नहीं गया है। मैं पहले भी आपसे आग्रह किया था कि सरकारी क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बंधुआ-मजदूरों का है। मैं उदाहरण के लिये आपके सामने पी० एंड टी० डिपार्टमेंट को रखना चाहता हूं, जहां पांच लाख से ऊपर ई० डी० नाम से जाने जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की बंधुआ मजदूर से बुरी दशा नहीं है आज के महंगाई के युग 1 P.M. में सौ-सवा सौ रुपए में कोई जो सकता है ? आप आश्चर्यचकित होंगे कि उनको बीमार पड़ने की भी इजाजत नहीं है, यहां तक कि महिलाएं काम करती है तो उनको बच्चा जनने का भी अवकाश नहीं है। इससे अधिक क्रूर बंधुआ मजदूरी क्या हो सकती है ? मजदूरी करनी है तो तुमको डाकघर के लिए अपना घर देना होगा, घर का किराया नहीं मिलेगा, किराए के रूप में मजदूरी सौ-डेढ़ सौ रुपया मिलेगी, नौकरी में स्थायित्व नहीं मिलेगा, कोई प्रोन्नति का उपाय नहीं है। इनमें 99 प्रतिशत कहां के हैं ? ग्रामीण अंचल के हैं। इनको बंधुआ मजदूरों में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। अगर नहीं जोड़ेंगे तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक इस बंधुआ मजदूर अधिनियम का क्या करेंगे ? जब पोस्टल डिपार्टमेंट से लिखा पढ़ी करता हूं तो कहते हैं कि मुझे मिल जाते हैं सौ-सवा सौ रुपए में तो मैं क्या करूं। क्या यह बेबस नवयुवक-नवयुवतियों का शोषण नहीं है। आज आप कम पढ़े-लिखे लोगों को नहीं दे सकते इसीलिए बेबस होकर उन्हें सौ-डेढ़ सौ रुपए में मजबूर होकर पोस्टल डिपार्टमेंट में बिना प्रोन्नति, बिना छुट्टी के, बिना मेडिकल एड के काम करना पड़ता है। उन्हें नौकर भी कहने के लिए विभाग तैयार नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी ठोक दी जाती है। जिम्मेवारी तो सरकारी नौकर की है लेकिन आपने उनको माना नहीं है। इसी तरह से कन्ट्रेक्ट लेबर है, केजुअल लेबर है, लेकिन आप उनको आइडेंट फाइ करने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है, उसकी बेबसी का लाभ ले रहा है तो क्या वह शोषण नहीं है ? वही तो बंधुआ मजदूरी है। आखिर बंधुआ मजदूरी की परिभाषा आप क्या करना चाहते हैं। अगर उस पर सरकारी लेबल लगा हो तो बंधुआ मजदूरी छूट जाएगी ? इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाये। प्रशासक और भारत सरकार इस बात को भूलते हैं कि आज कानून बनता है तो दूसरे दिन उसमें संशोधन की बात आती है। आज कानून को विस्तार से विचार करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति में नहीं भेजा जाता। बहुत कम ऐसे कानून हैं जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजे जाते हैं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी में पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की प्रथा है, लेकिन लगता है कि हमारे देश में इसका धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है। अगर आप इस विचार को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे तो कानून सचमुच में कानून नहीं बनेगा क्योंकि वह सोचा हुआ, विचारा हुआ परिस्थिति का पूरी तरह आंकलन होने के बाद नहीं आया होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। हो सकता है कि आप कहें कि मैं छोटा सा संशोधन लाया हूं। छो-

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

बात हो सकती है, देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन उसका असर हो सकता है अगर आप उस पर असरदार विचार करें। इसलिए मैंने कहा कि आप इस पर विचार करके देखें।

आपका ध्यान मैं आप ही के प्लानिंग डिपार्टमेंट के एवेलूएशन आर्गनाइजेशन के प्रिफेस के 8वें खण्ड की ओर ले जाना चाहता हू, विचार कर देखें। विभाग ने कहा है :—

"8. The study has also stressed the following aspects:

(i) Organisation of training workshop to explain the various sections of the Bonded Labour Act including correct definitions as there was some confusion in the minds of various functionaries about the proper definition of bonded labour as distinguished from attached labour contract labour, migrant labour, etc.

(ii) Continuous need to identify bonded labour from time to time along with other surveys so that the bonded labour becomes a thing of the past in our society.

(iii) Inducing the bonded labourers to put their children in schools by reimbursing the earnings which the children are at present getting by working to supplement the income of their parents for livelihood/survival."

इस में कई और परिच्छेद दिये हुए हैं और उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस के उत्थान के लिये अत्यंत आवश्यक है कि इस विधेयक को हम संयुक्त प्रवर समिति को भेजें जो इस पर पूरी तरह से विचार करे और देश की सही स्थिति का आकलन करे और देश की अन्य स्वतंत्र संस्थाओं ने इस संबंध में जो खोज की है, जो विवेचन किया है इस समस्या का उसको ध्यान में रख कर इस विधेयक को सही दिशा दे। भारत सरकार ने इन के उद्धार के लिये कई कार्यक्रम चलाये हैं जैसे एन. आर. डी. पी. आई. आर. डी. पी. एन. आर. ई. पी., आदि, लेकिन बिहार के लिये मैं कह सकता हूं कि आपने डेढ़ करोड़ रुपया जो दिया है हर जिले को उसमें भी सरकार के सब कर्मचारियों को करप्ट करने के लिये यह एक प्रावधान है। आज वह रुपया इन बन्धुआ मजदूरों के पास नहीं पहुंचता। आज वह रुपया इन कमजोर सेक्शन के लोगों के पास नही पहुंच पाता। आज वह रुपया कलैक्टर से लेकर नीचे तक के कुछ अधिकारी और कर्मचारी और कुछ दूसरे लोगों से मिलकर खा लिया जाता है। क्या कारण है कि जिस बन्धुआ मजदूर को छुड़ाया जाता है कुछ दिनों के बाद फिर वह वही पहुच जाता है। यह इसलिये कि आप उनके पुनर्वास क जो योजना बनाते हैं, वह इतनी बेकार है, वह इतनी निन्दनीय है कि वे वहां रहना पसन्द नहीं करते। यह स्थिति बार-बार पैदा होती है और सचमुच में आपका जो यह कानून है, वह इस समस्या की तह तक पहुचने में सहायक नहीं हो रहा है। सक्षम ही नहीं है। आज समाज में जो जाति प्रथा को तोड़ कर उससे बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो पा रहे है, उनको आपको अधिक शक्ति प्रदान करनी होगी। उन का सही रूप में पुनर्वास करना होगा। और इसलिये मैं चाहता हूं कि सिर्फ आइडेटिफिकेशन से ही काम नहीं चलेगा सिर्फ पुनर्वास से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हम को उनका मेंटल इलाज करना होगा। उनके दिल और दिमाग को साफ करना होगा। जब तक आप उनके दिल और दिमाग को साफ नहीं करते, यह समस्या हल नहीं हो पायेगी। अभी हमारे मित्र, पूर्ववक्ता ने ठीक ही कहा कि पं० जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के हर अधिवेशन में इन परिस्थितियों से संघर्ष करने की बात करते थे। आज भी आप के सम्मेलन होते हैं। आज भी उन में बहुत से ज्योति प्रकाश दिखाये जाते हैं, फैलाये जाते हैं लेकिन जो कुछ वहां दिखाया जाता है उसमें क्या कहीं भी उस गरीब का,

उस बंधुआ मजदूर का, उस पीड़ित समाज का कोई चित्रण होता है ? क्या उन के लिये सोचने का वहां कोई अवसर होता है क्या ? ऐसा लगता है कि पूरे समाज को कुछ बड़े लोग ग्रसित करते जा रहे हैं । अगर इसी तरह की राजनीति रहे, अगर यहां परिस्थिति सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में रहे तो आखिर इस देश का क्या होगा । इस देश की आबादी का 50, 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे है । इस-लिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज कर देखिए । यह देश के इस गरीब और बधुआ वर्ग को जो आज इस स्वतंत्र देश मे एक स्लेव की स्थिति में जी रहा है उस के उत्थान के लिये कोई समुचित रास्ता प्रस्तुत करता है या नहीं ।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को निश्चित रूप से एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandran.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Are we not adjourning for lunch?

THE DEPUTY CHAIRMAN: At 1-30.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Yesterday we adjourned at one.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday I was not in the Chair. We decided in the last session that in the morning we should sit till 1-30.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: After that you gratefully decided that we should return to the practice, and in fact we did return.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us do more business in the morning. Everybody is fresh. We can have lunch at 1-30. Mr. Ramchandran.

SHRI M. S. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I rise to welcome and support the Bonded Labour System (Abolition) Amendment Bill, 1984.

This Bill, by adding an explanation clause, seeks to bring within the purview of this Act contract labour and inter-State migrant labour.

Madam, the living conditions of the inter-State migrant labour are worse than those of even the slaves of the last century. A large number of labourers from States like Andhra Pradesh, Bihar etc. are taken as migrant labourers to various other States and are engaged in works like mining, stone-breaking, road-building etc. Their working conditions are equally bad, if not worse, than those of the slaves of the last century.

I congratulate the Prime Minister and the hon. Labour Minister for extending the protection of this law to inter-State migrant labour and contract labour. The position with regard to contract labour is also equally bad.

Madam, mere addition of this explanation clause by itself will not ensure the required protection to Inter-State migrant labour and contract labour. Apart from effective implementation some more loopholes in the system had to be plugged. For instance, the employment of these persons either as migrant labour or as contract labour is itself denied by the employers. Unless there is some proof on record that these people are actually employed as such, this Act cannot be effectively implemented. I would, therefore, suggest to the Honourable Labour Minister to evolve suitable means for recording the employment as such. There should be some service record property entered in the register or in any prescribed form; and that record should be made available not only with the employer but

[Shri M.S. Ramachandran]

also with the labour department or the local administration. A copy of the record should also be given to the concerned workman. Unless employment as such is established, this Act cannot be effectively implemented.

It is not merely enough if the bonded labour is released from bondage. In the past our sad experience is that these released bonded labour were not properly rehabilitated. Sometimes they even thought of going back to this bonded labour system. At least in future effective methods should be taken for proper rehabilitation of those labour who were released from the bonded labour system.

This Act also mentions about payments of minimum wages. In the Minimum Wages Act as at present there are certain loopholes. Therefore, I would appeal to the Honourable Labour Minister to consider some suitable amendment for the Minimum Wages Act. In several other Acts, there is protection for security of employment, if he initiates certain proceedings under that Act. But under the Minimum Wages Act as it stands today—if a worker who is denied payment of Minimum Wages and if he makes a claim then no security of employment is assured to him. The moment he makes the claim he or she is discharged from the employment. He finds it very difficult to get his employment back rather than getting the minimum wages. I request the Honourable Labour Minister to make some suitable amendment in the Minimum Wages Act also.

Another suggestion I would like to make to the Honourable Minister is that if there is any contravention of the Act by any employer, a prosecution can be launched only by the State official. Instead of that any social worker or any trade union who is taking up the case of that individual worker and who is denied payment of the minimum wages should be given powers to the prosecute the employer. By this method the matter may become a little easier for strict enforcement of the Act. Until the officers makes up his mind to launch the prosecution, no prosecution can be made against any employer for violation of the Minimum Wages Act.

I would avail of this opportunity to bring to the kind attention of the Honourable Labour Minister and appeal to him for considering some suitable amendment to the Minimum Wages Act.

With these few words, I thank you for giving me this opportunity and support the Bill.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया, यह ऋण दास्ता की एक प्रथा है जो हमारे देश में काफी सालों से प्रचलित है । अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सामन्ती व्यवस्था का अवशेष है जो देश के अन्दर जारी है । यद्यपि इस देश के अन्दर 37 वर्षो से यह सरकार हुकूमत कर रही है । सरकार सचमुच में तो तब टूटी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला दिया कि जो बांडेड लेबर हैं व सिर्फ वही लेबर है जो ऋण दास्ता के शिकार हैं । बल्कि वे भी बाडेड लेबर हैं, बंधुआ मजदूर हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं पाते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय नहीं लिया होता तो हमारा अन्दाजा यह है कि सरकार शायद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती । सरकार ने यह मान लिया था कि यह योजना जो है यह हल हो गई है या नगण्य योजना है । अगर यह बात नहीं होती तो प्रथम 20-सूत्री योजना के अन्दर सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बंधुआ मजदूर प्रथा को उठाया जायेगा लेकिन दूसरी 20–सूत्री योजना के अन्दर इस को बिल्कुल शामिल नहीं किया । यह इस बात का द्योतक है कि सरकार ने यह मान लिया था कि यह प्रथा कोई बहुत व्यापक नहीं है ।

अगर सचमुच में पूछा जाए तो यह समस्या हरिजन, आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्या है। यह प्रथा इस देश के कई राज्यों में प्रचलित है। यह प्रथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार और यू० पी० में जारी है। रोजगार के रूप में अगर देखा जाए तो ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर, चाय बागान में काम करने वाले मजदूर, जंगल में काम करने वाले मजदूर और दूसरे मजदूर इसके शिकार हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस देश के अन्दर एक लाख 85 हजार मजदूरों की सरकार ने पहचान की है। 1981 के सैंसस के मुताबिक इस देश के अन्दर 55 मिलियन खेत मजदूर हैं। सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है वह उनको नहीं मिलती है। ऐसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस देश के अन्दर 5 करोड़ 50 लाख खेत मजदूर हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है वे एक प्रथा के शिकार हैं। इस व्यवस्था में सरकार को चाहिए कि एक मजबूत कदम उठाये ताकि इस घृणित प्रथा जो देश के अन्दर प्रचलित है उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन देखने से यह मालूम पड़ता है कि सरकार द्वारा जितने कदम उठाये गये हैं या तो वे कदम बेकार है या सरकार ने उठाने की नहीं सोची। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी इसके पुनर्वास के लिए लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ ही खर्च किये। क्या कारण है इसकी असफलता का। असफलता का कारण यह है कि हमारी जो सरकार है इस सरकार के पास राजनीतिक इच्छा का अभाव है इस को दूर करने की दिशा में। सरकार का धनिक किसानों, सामन्तों और दूसरे लोगों का वोट पाने की दृष्टि से गहरा गठजोड़ है इसलिए सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की नहीं सोचती। हम यह पाते हैं कि कानून तो पास हुआ 1976 में लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। अभी भी हमारे देश के अन्दर सूदखोरी खत्म करने की प्रथा का कानून 39 में पास हुआ लेकिन अभी तक लागू करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस देश के अन्दर आदिवासी इलाकों में जितने आदिवासी सूदखोरी प्रथा के शिकार हैं या बंधुआ मजदूरी से बंधे हुए हैं इसको दूर करने की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि अगर सरकार सही ढंग से एक मजबूत राजनीतिक इच्छा रखेगी तो बंधुआ मजदूरी प्रथा दूर हो सकेगी। महज कानून पास कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इस देश के अन्दर कई ऐसे कानून बना दिये गये हैं समस्याओं का समाधान करने के लिये लेकिन सरकार की राजनीतिक इच्छा के अभाव में वह कानून लागू नहीं हो सका। न्यूनतम मजदूरी, सूदखोर प्रथा को खत्म करने के लिए, जमीन एबोलिशन का कानून, बंधुआ मजदूरी प्रथा को उठाने के संबंध में 1976 में कानून पास हुआ क्या यह कानून लागू है? नहीं। कानून महज पास कर देना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रश्न यह है कि सरकार इसको लागू करने की दिशा में कोई मजबूत कदम उठाती है या नहीं? इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले बंधुआ मजदूरों की पहचान की जाय। अभी तक सरकार इस देश के अन्दर केवल एक लाख 85 हजार बंधुआ मजदूरों को पहचान कर पाई है। हमारी समझ यह है कि इस देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। सन् 1981 की सैंसस के अनुसार पांच करोड़ पचास लाख खेत मजदूर इस देश में बताये गये हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले सरकार को बंधुआ मजदूरों की पहचान करनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। इस देश में किसान सभा और इसी तरह की जो दूसरी संस्थाएं है उनसे मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिएं। जब तक आप सही ढंग से बंधुआ मजदूरों की पहचान नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। जो बंधुआ मजदूर एक बार मुक्त हो जाते है वे पुनः बंधुआ मजदूरी के शिकार हो

[श्री सूरज प्रसाद]

जाते है। इसका प्रधान कारण यह है कि उनके पुनर्वास की और उनकी रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए में सरकार से कहना चाहूगा कि ग्रामीण रोजगार योजना को मजबूती से साथ लागू किया जाय जिससे इन लोगों को लाभ मिल सके। उन्हें नौकरी की गारन्टी दी जाये और उनके लिए कर्ज की व्यवस्था की जाय। अगर हम उनके पुनर्वास के लिए मजबूती के साथ कदम उठाये तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इन शब्दों के साथ सरकार से यह अर्ज करता हूं कि सरकार कुछ राजनीतिक दिशा प्रकट करे। गांवों के अंदर कांग्रेस पार्टी के और सरकार के जो भी लोग सामन्त है, धनिक किसान है, जिनके साथ इनका गहरा संबंध है, जब तक इस सामन्ती प्रथा को छोड़ा नही जाता है, इसका उन्मूलन नहीं किया जाता है तब तक इस समस्या का समाधान होना असंभव है। इसलिए में चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): Madam Deputy Chairperson, I rise to support the amendment brought by the Government to the Bonded Labour System (Abolition) Act of 1976. Owing to our commitment to human rights and freedom, the bonded labour system was declared illegal in 1976 through an Act. Our resolutions at difference sessions of the Congress Party have focussed attention of the party and the entire country as a whole on this social evil which plagues our very system and which is, I think, irking everyone's mind. The leaders of yester-years, Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi were well aware of the fact. when took up the freedom struggle and wanted to mould the destiny of our country, that the backward sections, the weaker sections of our society were held in bondage and they were really not free to mould their lives to a better quality, which was their birthright. I would say that from time to time special attention was focussed on this matter at these various sessions and this is one reason why we were able to enact a legislation in 1976. I am surprised that we have heard certain views from across the floor that it is not just an enactment of any legislation that matters. I am very suprised because it does matter a lot. It shows the purpose with which the Government thought, acted, focussed its attention and got it legislated. Yes, I do agree with them that implementation is equally important because it is implementation where we all have to concentrate. We are aware that the Government and the judiciary have taken determined steps, have endeavoured, have persevered to eradicate this social evil. The causes have been well brought out by my colleagues Mr. Sukul, Mr. Satyapal Malik and others who have spoken on this amendment. I will not go into these causes because all of us know what prompted the freedom struggle. This was the main cause that we wanted to progress as one united whole country where no section can be left out. These are the words of Mahatma Gandhi and this is what was repeated by Pandit Jawaharlal Nehru and Shrimati Indira Gandhi who concentrated on this very fact and spelt it out in the 20-Point Programmes of our Party and said, "where ever we are, we have to take certain steps not only at the Central level but at the State level also to ameliorate the sufferings of the weaker sections." This Act was legislated and all the State Governments were asked to implement this Act through legislation of their own. Along with the Act certain rules were also passed whereby the State Governments and the Collectors were to enforce the provisions of the Act, to release the bonded labour and also to see to the rehabilitation of the released bonded labour. In the process of implementing the Act there arose some confusion in the minds of the functionaries at various levels, at the State level, at the district level, at the sub-division level. Certain vigi-

lance committees were constituted and we were able to get hold of the problem. But the Government was not satisfied with the outcome because it felt that there was a certain section which was left out, and the Act needed clarification at a certain point, clarification regarding the definitions that were provided in it.

I would now like to go into the reports that came in. The total number of bonded labourers identified and freed from different States as on 31st December, 1984 was 1,73,814 out of which 131,407 labourers have been rehabilitated. I say this only to get it on record, to tell our colleagues on the opposite side that the Government is very much alive to the problem and it has shown serious concern, the State Governments are also trying their level best to help us out. Their efforts have been supplemented by the Central Government also in the rehabilitation. Now they have a Centrally-sponsored scheme under which Rs. 4000/- is paid to every bonded labourer who has been released and who has to be rehabilitated. Of course, the amount has to be matched by an equivalent amount from the concerned State Government. That is, it is on a 50 : 50 basis—Rs. 2000/- by the Central Government and Rs. 2000/- by the State Government. But in due course of time this was found to be inadequate and, therefore, the Government has tried to augment this scheme by other schemes recently all of which clearly shows the concern that the Government has for the backward sections of our society. The weaker sections of our society. The Centrally-sponsored financial assistance is either land-based or non-land-based. Non-land-based assistance is rendered through animal husbandry schemes in which they are provided with milch cows so that they are able to get a better quality of life and they are also given loans for setting up small, cottage, industries. There are different kinds of schemes like the IRDP, NREP, DPAP, Sub-component Plan for the Scheduled Castes. Sub-Plan for the Tribal people and other on-going schemes for the States so as to pool the resources in order to benefit the released bonded labour, to rehabilitate them. We have been able to raise the necessary infrastructure. Our objectives are clear. There is an attempt to unite all our effort into one, into one major effort, on the part of the Government and the Government is showing its concern by bringing about this amendment. I would like to concentrate on this amendment now. The Planning Commission had recommended a detailed survey of the bonded labour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak after the lunch hour.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: I am just concluding.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you finishing?

SHRIMATI USHA MALHOTRA: I am just finishing.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak after 2-30. You can take more time then.

The House stands adjourned for lunch now.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shrimati Kanak Mukherjee)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): The Leader of the House will now make a statement.

STATEMENT BY MINISTER RE. SCHEMES TO AMELIORATE THE LOT OF WEAKER SECTION IN THE CONTEXT OF SURPLUS FOOD STOCKS

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Madam, the House is aware of the commitment of this Government to the amelioration of the lot of the weaker and the vulnerable sections of the Society. The Annual Plan for 1985-86 and the Seventh Five-Year Plan as approved recently by the National Development Council fully reflect our concern for the Welfare of these sections.

Honourable Members would recall that in May last I had announced, a special scheme for the construction of two lakh houses every year in this Five Year Plan period for scheduled castes, scheduled tribes and bonded labour. This scheme sought to combine the objective of provision of increased employment opportunities to these sections, with utilisation of local materials in these construction programmes so as to fillip to the local economy.

Government have now decided on three more measures for the improvement of the level of living of those below the poverty line. Incidentally, they also seek to take advantage of our comfortable stocks of food for the benefit of the weaker sections.

First among these is a programme for distribution of foodgrains at a concessional price to the people in the integrated tribal development projects. There are 181 integrated tribal development projects in the country which cover 633 community development blocks fully and 280 blocks partially, spread over 17 States and two Union Territories. There are over 50 million people in these project areas, nearly two thirds being tribals. It has now been decided that wheat would be made available to these 50 million people in these project areas at a subsidized rate i.e. the same rate at which foodgrains are being made available under the Rural Landless Employment Guarantee Programme and the National Rural Employment Programmes. The issue price to the beneficiaries will be Rs. 1.50 per kg. for wheat and Rs. 1.85 per kg. for rice. While the distribution will be mostly in the form of wheat, in those areas where rice is preferred, rice would also be given in addition to wheat. This programme will be implemented through the State Governments and the Union Territories. Allowing for the fact that in many areas the infrastructural arrangements will have to be augmented, and various agencies pressed into action, it is expected that the implementation of this scheme will be initiated by the different States and Union Territories in all tribal development project areas before the 1st January, 1986. The entire expenditure on the subsidy involved will be borne by the Centre.

The second measure pertains to the nutrition programme for young children, pregnant women and nursing mothers. This programme is being implemented by the various States and Union Territories in the tribal areas, urban slums and backward rural areas covering 11 million beneficiaries. It has now been decided to provide necessary additional support to the States with effect from 1st January, 1986, so as to enable them to increase the coverage to 14 million even in 1986-87. The Central Government will meet in full the entire cost of wheat as well as all supportive costs corresponding to the higher coverage